

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 433]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2012—आश्विन 25, शक 1934

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

क्र. डी-15-10-2012-चौदह-3-संशोधित अधिसूचना.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त, 2012 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति पलेरा के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम पंचायत पलेरा, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ के निम्नलिखित खसरा क्रमांक 1620/3/क, 1620/3/ख, 1808/1/3/ख का कुल रकबा 15.00 एकड़ भूमि का क्षेत्र :—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (एकड़ में) (3)
1	1620/3/क	2.00
	1620/3/ख	8.00
2	1808/1/3(ख)	5.00
		योग : 15.00

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का कार्यालय.

दक्षिण में—आबादी.

पूर्व में—जनपद कार्यालय.

पश्चिम में—साप्ताहिक बाजार स्थल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

क्र. डी-15-10-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 अक्टूबर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 17th October 2012

No. D-15-10-2012-XIV-3-**Amendment Notification.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declared the following area including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Palera has been established by this department's Notification even No. dated 27th August 2012 shall be the market yard namely :—

PLACE

An area of 15.00 Acres land of below Mentioned Khasra number 1620/3/a, 1620/3/b, 1808/1/3/b at Gram Panchayat Palera in Tehsil Palera of District Tikamgarh.

S.No. (1)	Khasra No. (2)	Area (In Acres) (3)
1	1620/3/a	2.00
2	1620/3/b	8.00
3	1808/1/3/b	5.00
		Total : 15.00

BOUNDED BY

On the North by—Office of M.P.E.B.

On the South by—Population.

On the East by—Office of Janpad Panchayat.

On the West by—Place for Weekly Market.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.